उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

संख्या / VII-2 / 15 / 146–एम0एस0एम0ई / 2013
दिनांकः नवम्बर, 2015

अधिसूचना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184 / सात–2–15 / 146एमएसएमई / 2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्राख्यापित **उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (उद्योग) नीति–2015** (जिसे आगे एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 भी कहा गया है) में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं / रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुवों के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015** प्रख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि	**1.**	ये दिशा–निर्देश / आदेश **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश–2015** कहे जायेंगे।
	2.	इस आदेश के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित हैः– (क) निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 (ख) ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 (ग) विद्युत बिल प्रतिपूर्ति योजना–2015 (घ) राज्य परिवहन उपादान योजना–2015 **नोटः–**उक्त योजनाओं के अतिरिक्त एम0एस0एम0ई0 नीति में प्रदत्त सुविधाओं की अनुमन्यता हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी अन्य योजनायें भी आदेश / अधिसूचना / कार्यालय ज्ञाप आदि के रूप में संचालित की जा सकती हैं।
	3.	यह दिशा–निर्देश / आदेश एम0एस0एम0ई0 नीति जारी होने की तिथि दिनांक 31 जनवरी, 2015, जैसा कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 में विहित है, से लागू होकर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। पात्र उद्यमों को उक्त अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से

		अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा	
	4.	फिल्ड स्तर पर इन दिशा–निर्देशों/आदेशों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के निदेशक पदधारक अधिकारी जो वर्तमान में निदेशक, उद्योग है तथा उनके अधीन जनपदों में कार्यरत जनपद स्तरीय अधिकारी जो वर्तमान में महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, उद्योग है, का होगा।	
	5.	ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जो विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (संशोधित नीति–2011) के तहत पहले से पंजीकृत हैं और जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसायिक गतिविधि प्रारम्भ करने के पश्चात् अपना दावा प्रस्तुत कर दिया हो, को विशेष एकीकृत नीति के तहत ही अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्होंने बीच की अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (उद्योग) नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश/आदेश सामान्य प्रचलनात्मक आदेश/दिशा–निर्देश के अस्तित्व में न होने के कारण उद्यम स्थापना हेतु नीति लागू होने के बाद उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम (Effective Step) उठाये हैं, को क्रियान्वयन आदेश /सामान्य प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश जारी होने की तिथि से 45 दिन के भीतर अपने उद्यम को जिला उद्योग केन्द्र में योजनान्तर्गत पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।	
वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता की अनुमन्यता के लिए चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण		नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता की अनुमन्यता के लिए प्रदेश को निम्नानुसार चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–	
		श्रेणी–ए	जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
		श्रेणी–बी	• जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल व अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग।
			• जनपद देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।

			• जनपद नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड।
		श्रेणी–सी	• जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्र तल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
			• जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड।
		श्रेणी–डी	जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के श्रेणी–बी व सी में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर अवशेष क्षेत्र।
स्पष्टीकरण	1.	श्रेणी–सी एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में केवल विनिर्माणक गतिविधियों (Manufacturing Activities) पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। विनिर्माणक गतिविधियों से तात्पर्य भारत सरकार द्वारा उक्त संबंध में निर्धारित आदेश/दिशा–निर्देश से है।	
	2.	श्रेणी–डी के अन्तर्गत जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र से आशय इन जनपदों के विकासखण्डों में स्थित स्थलों से इतर नगर निगम/महानगर पालिका/नगर पालिका/विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थलों से है।	
	3.	रीवर बेड मैटीरियल आधारित उद्योगों (स्टोन क्रेशर सहित) पर नीति में प्रदत्त छूट/रियायतों का लाभ पूरे प्रदेश में अनुमन्य नहीं होगा।	
परिभाषा	I	**सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम**	
		सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से ऐसे उद्यम/औद्योगिक इकाईयां अभिप्रेत हैं, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत धारा–2 (ज) (ड) एवं (छ) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आते हों तथा जिनके लिए उद्यम की स्थापना का आशय रखने अथवा उद्यम स्थापित करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में क्रमशः उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति(Acknowledgement) प्राप्त की गयी हो।	

	II	**विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमः–**	
		उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में, जैसेः–	
		(क)	एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।
		(ख)	एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या
		(ग)	एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो। **नोटः–** वर्तमान में निर्धारित उक्त सीमा के अतिरिक्त विनिर्माणक एम0एस0एम0ई0 की परिभाषा वही होगी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।
	III	**सेवा प्रदाता उद्यमः–**	
		सेवा प्रदाता उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय–2006 में परिभाषित किया गया हो तथा जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनायें जारी की गई हों। सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में,	
		(क)	एक ऐसे **सूक्ष्म उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो,
		(ख)	एक ऐसे **लघु उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक न हो, या
		(ग)	एक ऐसे **मध्यम उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो।

			नोटः– वर्तमान में निर्धारित उक्त सीमा के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की एम0एस0एम0ई0 की परिभाषा वही होगी जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।
विनिर्माणक / उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यम		सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 के प्रस्तर–2 में वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए चिन्हित सेवा / विनिर्माणक (manufacturing) क्षेत्र के उद्यमों का विवरण निम्नवत् हैः–	
	1.	**हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योगः**	
		(क)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या–यूईपीपीसीबी / एचओ / सा–256 / 2014 / 8631–1274 दिनांक 31–1–2014 से दून वैली क्षेत्र के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य सभी स्थलों / क्षेत्रों के लिए प्रवर्गीकृत नारंगी तथा हरित (Orange and Green Category) श्रेणी के उद्योग / उद्यम। **(अनुलग्नक–1)**
		(ख)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग) की अधिसूचना संख्या–102(ई) दिनांक 1 फरवरी, 1989 में दून वैली क्षेत्र के लिए प्रवर्गीकृत नारंगी तथा हरित (Orange and Green Category) श्रेणी के उद्योग / उद्यम। **(अनुलग्नक–2)**
	2.	**थ्रस्ट सैक्टर उद्योग / क्रियाकलापः**	
		(क)	भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10) / 2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में उल्लिखित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों की चिन्हित गतिविधियॉ / क्रियाकलाप। **(अनुलग्नक–3)**
		(ख)	भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–1(13) / 2003–एसपीएस दिनांक 14 सितम्बर, 2004 तथा शुद्धिपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2004 में परिभाषित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियॉ, जिनमें होटल, रिसॉर्ट, स्पा, मनोरंजन / मनो विनोद (amusement) पार्क तथा रोप–वे सम्मिलित हैं। **(अनुलग्नक–4)**

	3.	**प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियॉं:**	
		(क)	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–812/ अ0वि0/2003 दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 में अधिसूचित पुष्पकृषि (Floriculture) व्यवसाय। **(अनुलग्नक–5)**
		(ख)	औद्योगिक नीति–2003 तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक नीति–2006 में उद्योग का दर्जा प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें (ITES) तथा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त अर्बन व रूरल कॉल सैन्टर। **(अनुलग्नक–6)**
		(ग)	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–926/अ.वि./04–05 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 में अधिसूचित निर्धारित प्रजनन/वार्षिक क्षमता वाले परिक्षेत्र में विद्युत का उपयोग बॉयलर/लेयर/अण्डा उत्पादन हेतु केन्द्रित रूप से किये जाने वाला व्यवसायिक (Commercial) कुक्कुट पालन। **(अनुलग्नक–7)**
		(घ)	पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–483/VI/2004–333 (पर्य.)/2003 दिनांक 17 जुलाई, 2004 द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियां। **(अनुलग्नक–8)**
		(ङ)	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–406/ XVI/04/298/2002 दिनांक 17 मई, 2002 में उल्लिखित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/ राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पात्रता रखने वाली गतिविधियां। **(अनुलग्नक–9)**
	4.	**<u>केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज में सम्मिलित सेवा क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र की निम्न गतिविधियां</u>:–**	
		(क)	**होटल, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेल, रोप–वे:–**
		(i)	होटल में किराये पर देने योग्य न्यूनतम 08 कमरों का आवश्यक

			सुविधाओं युक्त व्यवसायिक भवन।
		(ii)	होटल भवन निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त तथा उचित पहुंच वाले स्थल पर हो।
		(iii)	होटल में निर्मित कक्षों का आकार एवं क्षेत्रफल प्रभावी उपनियमों तथा मानकों के अनुरूप हों।
		(iv)	होटल के कम से कम 50 प्रतिशत कक्षों में attached स्नानगृह/प्रसाधन/शौचालय की सुविधा हो।
		(v)	होटल के शेष 50 प्रतिशत कक्षों के लिये भी समुचित प्रसाधन/स्नानगृह/शौचालय की व्यवस्था हो।
		(vi)	होटल में ठण्डे/गरम पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।
		(vii)	होटल में टेलीफोन सुविधा युक्त स्वागत कक्ष हो तथा होटल का फर्नीचर साफ व आरामदायक हो।
		(viii)	होटल का भोजनालय स्वच्छ, हवादार, आधुनिक उपकरणों से सुजज्जित हो तथा होटल में स्वच्छता हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो।
		(ix)	खेल तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलों में अनुमोदित गतिविधियॉ।
		(x)	पर्यटन विभाग/राज्य सरकार के प्राधिकृत प्राधिकारी से साहसिक तथा अवकाशकालीन खेल, आमोद/मनोरंजन पार्क, केबिल कार, रोप–वे, स्पा क्रियाकलापों की अनुज्ञां प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
		(ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होमः–	
		(i)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम/चिकित्सालय।
		(ii)	नगरपालिका तथा टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थापित आधुनिक

			पद्धति के चिकित्सा उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, क्लीनिकल पैथोलॉजी, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, ऑपरेशन थियेटर, औषधि भण्डार तथा आपातकालीन सुविधाओं युक्त 10 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक शल्य/काय चिकित्सा विशेषज्ञ सहित दो सामान्य चिकित्सक (जिनकी न्यूनतम अर्हता एम.डी./एम.एस./एम.बी.बी. एस./बी.आई.एम.एस. अथवा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक की डिग्री हो) **तथा आवश्यक संख्या में (कम से कम 5)** प्रशिक्षित महिला/पुरूष सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।
		(iii)	नगरपालिका तथा टाउन एरिया की परिधि से न्यूनतम 20 कि. मी. से अधिक की दूरी पर स्थापित आधुनिक पद्धति के आवश्यक चिकित्सा उपकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, टीकाकरण, ई.सी.जी. तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवायें एवं आपातकालीन सुविधाओं युक्त 5 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक एम.बी.बी.एस. डिग्री धारक चिकित्सक (Physician) तथा एक प्रशिक्षित महिला नर्स एवं दो अन्य सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।
		(iv)	आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी तथा पंचकर्म पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिये स्थापित चिकित्सा केन्द्र भी नर्सिंग होम की श्रेणी में आयेंगे, किन्तु इसके लिये आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी चिकित्सा परिषद, जहॉ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण /अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त कर सम्बन्धित पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिये निर्धारित मानकों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया हो।
		(v)	नर्सिंग होम की स्थापना के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय/चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों/ दिशा–निर्देशों का पालन करना पूर्णतः अनिवार्य होगा।
		(vi)	नर्सिंग होम में चिकित्सा एवं उपचार के लिये सम्बन्धित अधिनियम/नियमों के अधीन केन्द्रीय/प्रादेशिक चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, जहॉ से भी अनुज्ञां/पंजीकरण/ अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त करना आवश्यक होगा।

		(ग) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानः–	
		(i)	भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–10(3)/ 007–डीवीए–II/ एनईआर दिनांक 21 सितम्बर, 2007 **(अनुलग्नक–10)** में प्रस्तर–1(v) में व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत उल्लिखित होटल प्रबन्धन, कैटरिंग तथा फूड क्राफ्ट्स, उद्यमिता विकास, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग, औद्योगिक एवं कौशल विकास गतिविधियॉ।
		(ii)	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अथवा प्रादेशिक तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा परिषद से पंजीकृत/सम्बद्धता (Affiliation) होनी आवश्यक है तथा प्रशिक्षण का स्तर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अनुरूप अपेक्षित स्तर का हो।
		(iii)	पैरा मैडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु उत्तराखण्ड राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार चिकित्सा संकाय की शासकीय निकाय से प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
	5.	**जैव प्रौद्योगिकीः**	
		जैव प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अनुमोदित समस्त गतिविधियॉ, जिनमें उपकरण, यंत्र–संयंत्र की सहायता से उत्पादन अथवा प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा हो।	
	6.	**संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेजः**	
		(क)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित /संचालित गतिविधियां, यथाः एकीकृत कोल्ड स्टोरेज इकाई (जिसमें Shorting, Grading, Packaing & Cooling की सुविधा हो), फल, साग–सब्जी प्रसंस्करण एवं डिब्बा बन्दी आदि।
		(ख)	कृषि एवं औद्यानिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियॉ।

		(ग)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ए.एस.आई.सी.सी.. –2000 एवं एन.आई.सी.–2004 में वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के पौली हाउसेज/ग्लास हाउसेज/निर्मित शेडों से संरक्षित कृषि उत्पाद, यथाः टिस्यू कल्चर, मशरूम उत्पादन, लाइव ट्रीज, प्लान्ट्स, बल्ब्स, रूट्स, कट फ्लावर, बोनजोई, और्नामेटल तथा हाईड्रोपोनिक्स आदि गतिविधियॉ।
		(घ)	विशिष्टविधि वातारण नियंत्रण सुविधा से युक्त शीत भण्डार।
	7.	**पेट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदामः–**	
		(i)	श्रेणी 'ए' में वर्गीकृत जनपद/क्षेत्र की नगरपालिका/टाऊन एरिया से बाहर, जहां पर पेट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की सुविधा पहले से उपलब्ध हो, से न्यूनतम 10 कि. मी. की दूरी पर स्थापित होने वाले पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम। श्रेणी 'बी' के जनपद/क्षेत्रों हेतु यह दूरी न्यूनतम 25 कि. मी. होगी।
		(ii)	पेट्रोल, डीजल तथा गैस गोदाम की स्थापना के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से उद्यम की स्थापना के लिए नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त की गई हो।
योजना से व्यवहृत इकाईयां	1.	कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2015 के प्रस्तर–2 में अधिसूचित सभी विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों, जिनको इस नियमावली में स्पष्ट किया जा चुका है, को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान/रियायतों व अन्य प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ पात्रता के आधार पर अनुमन्य होगा, चाहे वह निजी क्षेत्र में स्थापित हों अथवा सहकारिता/सार्वजनिक क्षेत्र में तथा जिन्होंने उद्यम स्थापनार्थ, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 (EM Part-I) फाईल कर अभिस्वीकृति प्राप्त की हो और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली–2015 के अन्तर्गत उपादान सहायता हेतु पूर्व पंजीकरण प्राप्त किया हो।	
	2.	नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन एवं सुविधायें नई औद्योगिक इकाईयों, यदि सम्बन्धित योजनाओं में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को ही उपलब्ध होंगी।	

नये उद्यम की परिभाषा	1.	**नये उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम (steps) दिनांक 31 जनवरी, 2015 या उसके पश्चात् उठाये गये हों। उद्यम की स्थापना हेतु प्रभावी कदम की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, से अभिप्रेत हैं:–**	
		(क)	विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने का दिनांक।
		(ख)	उत्पादक तथा सेवा उद्यम के संचालन के लिए कार्यशाला भवन किराये अथवा लीज पर लिये जाने का दिनांक।
		(ग)	उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक।
		(घ)	प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।
		(ङ)	उद्यम के लिये अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को निश्चित आदेश दिये जाने का दिनांक।
		(च)	उद्यम की स्थापना के लिए वित्त पोषक बैंक द्वारा स्वीकृत सावधि/कार्यशील पूंजी ऋण की किश्त का संवितरण/भुगतान न किया गया हो।
		(छ)	उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन, भाग–2 फाइल करने का दिनांक।
		<u>स्पष्टीकरण:</u>	
			वित्तीय संस्था से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार की अनुमोदित वित्तीय संस्था, आई.एफ.सी.आई., आई.सी. आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., सिडबी, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त पोषक संस्था/बैंक से है।
उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने का दिनांक		उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने के दिनांक से तात्पर्य उस दिनांक से होगा, जब नये स्थापित विनिर्माणक/सेवा उद्यम द्वारा वाणिज्यिक	

		उत्पादन/व्यवसाय विधिवत् प्रारम्भ कर दिया गया हो, जो कि महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित हो। उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक के विनिश्चय के लिए निम्नलिखित उपायों को संज्ञान में लिया जाएगाः–	
		(क)	इकाई में निर्मित किये जाने वाले उत्पाद के विनिर्माण अथवा सेवा के लिए प्रथम कच्चा माल क्रय करने की तिथि।
		(ख)	इकाई में निर्मित उत्पाद अथवा प्रदत्त सेवा की बिक्री से सम्बन्धित प्रथम बिल की तिथि।
		(ग)	विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक/मीटर सीलिंग प्रमाण–पत्र की तिथि।
		(घ)	वाणिज्यिक कर विभाग/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में दाखिल विवरणी में उत्पादन/क्रियाकलाप प्रारम्भ करने की तिथि।
		(ङ)	उद्यमी द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में दाखिल उद्यमी ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) की अभिस्वीकृति में दर्शायी गई उत्पादन की तिथि।
अचल पूँजी निवेश		**अचल पूंजी निवेश से तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट व मशीनरी,, यंत्र–संयंत्र तथा उपकरण पर विनियोजित पूंजी से है, जिसकी गणना निम्नवत् की जायेगी। पूंजी निवेश उपादान सहायता की अनुमन्यता हेतु केवल उद्यम के कार्यशाला भवन/शेड तथा प्लाण्ट–मशीनरी तथा उपस्कर मद में किये गये अचल निवेश की गणना की जायेगी, उद्यम हेतु अर्जित भूमि पर किये गये निवेश को उपादान सहायता हेतु अचल निवेश में नहीं जोड़ा जायेगा।**	
	1.	**भूमिः–**	
		भूमि मद में किये गये स्थिर पूंजी निवेश को उपादान हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा।	
	2.	**भवनः–**	
		(क)	उद्यम के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत रूप से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये उद्यम के कार्यशाला भवन में किये गये पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान सहायता अनुमन्य होगी। किराये के भवन हेतु कम से कम 5 वर्ष की वैध पंजीकृत किरायेदारी

			हो। कार्यालय/आवसीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु निर्मित भवन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा, केवल विनिर्माणक/उत्पादन तथा सेवा कार्यों के उपयोग के लिये वांछित आवश्यक कार्यशाला भवन/शेड को ही उपादान हेतु गणना में लिया जाएगा।
		(ख)	भवन निर्माण लागत का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निर्माण की दरों **अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो के** आधार पर किया जायेगा।
		(ग)	स्वयं के स्वामित्व/क्रय किये गये/लीज पर लिये गये भवन में उद्यम संचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त निर्माण/परिवर्धन/रिनोवेशन पर किये गये व्यय को भी स्थिर पूंजी निवेश में शामिल किया जायेगा। उक्त निवेश की गणना निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगीः–
		(i)	अतिरिक्त निर्माण/परिवर्द्धन/रिनोवेशन कार्य कराने से पूर्व इसकी अनुमति सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से ली गई हो।
		(ii)	उक्त का व्यय आंगणन चाटर्ड इंजीनियर/राजकीय विभाग के सक्षम अभियन्ता से प्राप्त की गई हो।
		(iii)	उपादान दावे के समय, रिनोवेशन से पूर्व तथा बाद के फोटोग्राफ **तिथि सहित** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(घ)	राज्य में अधिसूचित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा विनियमित क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्यमों के भवन मानचित्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Sida) से अनुमोदित/स्वीकृत होने आवश्यक हैं।
	3.	**मशीनरीः–**	
		(क)	मशीनरी संयत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में उपलब्ध/प्राप्त हो गये हों तथा जिन्हें स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से अधिष्ठापित कर दिया गया हो, को उपादान हेतु अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत लिया जायेगा। अन्य उपकरणों, जिसमें

			टूल, जिग्स, डाईयॉ तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम, उनकी परिवहन लागत तथा अधिष्ठापन व्यय को भी इसमें शामिल किया जायेगा। सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवा उद्यमों के लिए प्लांट व मशीनरी का विनिश्चय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड से विचार–विमर्श कर विनिश्चित किया जायेगा।
		(ख)	नर्सिंग होम के लिए भवन निर्माण लागत (भूमि के मूल्य को छोड़कर), आपातकालीन सेवाओं, **जनरल** सर्जरी, प्रसव सुविधा, पैथोलाजी, रेडियोलाजी, ई.सी.जी. से सम्बन्धित उपकरणों पर किये गये स्थिर पूंजी निवेश तथा एम्बुलेन्स के रूप में उपयोग में लाये जा रहे एक रोगी भार वाहन को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा।
		(ग)	विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादों के विपणन, कच्चा माल तथा तैयार माल के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जा रहे अधिकतम एक परिवहन भार वाहन पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश भी निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए अर्ह माना जायेगा। निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए पूंजी निवेश आंगणन हेतु परिवहन भार वाहन पर किया गया कुल निवेश, कुल अचल पूंजी निवेश (भूमि पर व्यय को छोड़कर) के 10 प्रतिशत सीमा तक का पूंजी निवेश ही प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा।
		(घ)	साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलों, आमोद एवं मनोरंजन पार्क, केबिल कार, रज्जु मार्ग (Ropeways) एवं स्पॉ परियोजनाओं के संचालन के लिए अपेक्षित आधारभूत अवस्थापना से सम्बन्धित Items एवं उपकरण (भूमि को छोड़कर) जरूरी हैं। अतः इन परियोजनाओं के संचालन के लिए वांछित उपकरणों एवं अन्य आधारभूत अवस्थापनाओं पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश (भूमि पर किये गये निवेश को छोड़कर) को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा।
		(ङ)	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन निर्माण लागत (भूमि के मूल्य को छोड़कर), सभी अपेक्षित उपकरणों, कार्यालय संयंत्रों

			तथा ऐसे ही अन्य इलैक्ट्रो मैकेनिकल या इलैक्ट्रॉनिक एप्लाइन्सेज/इक्विपमेन्ट्स, जो कि सीधे सम्बन्धित सेवा से जुड़े हुए हैं, जिनमें क्लासरूम इक्विपमेन्ट, मशीन रूम इक्विपमेन्ट, लैबोरेट्री इक्विपमेन्ट तथा आवश्यक फर्नीचर एवं फिक्चर (कन्ज्यूमेबल तथा डिस्पोजेबल आइटम्स/कम्पोनन्ट्स को छोड़कर) में किये गये स्थिर पूंजी निवेश को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा।
		(च)	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग से सम्बन्धित उपकरण और सहायक उपकरण, लैबोरेट्री में बॉयोटैक्निकल प्रोसेस के संचालन हेतु अपेक्षित आवश्यक पुर्जों, पायलट और पर्याप्त आवश्यक सिविल अवस्थापना (भूमि के मूल्य को छोड़कर) में किये गये स्थिर पूंजी निवेश को प्लांट व मशीनरी के अन्तर्गत गणना में लिया जायेगा, किन्तु जैव प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण के लिए वांछित सॉल्वेन्ट, रासायनिक, अभिकर्मकों और अन्य कम्ज्यूमेबल्स व डिस्पोजेबल्स को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
औद्योगिक आस्थान/ क्षेत्र की परिभाषा	**1.**	**औद्योगिक आस्थान का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे क्षेत्र से होगा, जो औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित किया गया हो।**	
		(क)	सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया हो तथा जिस क्षेत्र को ऐसा घोषित किया गया हो।
		(ख)	निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो या जो क्षेत्र ऐसे आस्थान/**क्षेत्र के रूप में सरकार** द्वारा घोषित किये गये हों।
	2.	अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अंदर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधायें जिनमें विद्युत, सड़क, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।	
नीति के क्रियान्वयन,	**1.**	नीति में वर्गीकृत क्षेत्रों की औद्योगिक स्थिति पर्यावरण एवं सामाजिक व	

प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की समीक्षा, संशोधन/संवर्धन तथा नवीन उपायों/ सुविधाओं को सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया		सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्यकतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके क्रियान्वयन के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146–एमएसएमई/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से नीति के क्रियान्वयन हेतु मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समन्वय एवं अनुश्रवण समिति अधिकृत रहेगी। राज्य स्तर पर गठित प्राधिकृत समिति तथा समन्वय एवं अनुश्रवण समिति उक्त ज्ञाप में वर्णित कार्यों के निर्वहन के लिए भी उत्तरदायी होगी।		
योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रक्रिया	**2.**	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–		
		(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन	**अध्यक्ष**
		(2)	अपर सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
		(3)	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
		(4)	अपर सचिव, पर्यटन/ लोक निर्माण विभाग/कृषि एवं औद्यानिकी/ ऊर्जा/ वन एवं पर्यावरण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ प्राविधिक शिक्षा/ खेल एवं क्रीड़ा/खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन	**सदस्य**
		(5)	वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	**सदस्य**
		(6)	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक	**सदस्य**
		(7)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं के राज्य स्तरीय अधिकारी	**सदस्य**
		(8)	निदेशक उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड	**सदस्य सचिव**
		इस समिति को □5 लाख से अधिक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा। **यह समिति स्वप्रेरणा से रैण्डम आधार पर जनपद स्तरीय समितियों द्वारा स्वीकृत दावों का परीक्षण/समीक्षा भी कर सकेगी।**		

	3.	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की उप समति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–**		
		(1)	जनपद के जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
		(2)	जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	**सदस्य**
		(3)	अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक	**सदस्य**
		(4)	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी	**सदस्य**
		(5)	जिला पर्यटन/कृषि/उद्यान अधिकारी/उपायुक्त वाणिज्यकर/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	**सदस्य**
		(6)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	**सदस्य सचिव**
		इस समिति को □ 5 लाख तक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा। समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह यदि चाहें, तो आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे।		
अनुदान की सीमा	**1.**	पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि विभिन्न स्रोतों से अचल पूंजी निवेश पर मिलने वाले पूंजी उपादानों की कुल धनराशि उद्यम में लगे अचल पूंजी विनियोजन के 60 प्रतिशत, अधिकतम □ 60 लाख से अधिक नहीं होगी।		
	2.	श्रेणी–डी में वर्गीकृत क्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित पूंजी निवेश उपादान योजना/निवेश प्रोत्साहन योजना में से केवल एक ही श्रोत से उपादान सहायता अनुमन्य होगी।		
प्राविधानों में संशोधन तथा/या छूट/रद्द करने का प्राधिकार	**1.**	**इस योजना के संगत प्रावधानों में शासन किसी भी समय परिवर्तन कर सकता है।**		
		(क)	इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन या उनको रद्द करने,	
		(ख)	उचित स्तर पर प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त इन नियमों के प्राविधानों को लागू करने में छूट	

			देने, अथवा
		(ग)	नियमों के प्राविधानों में अतिरिक्त शर्त आरोपित करने या यदि शासन चाहे, तो प्रत्येक मामले में सम्यक् विचारोपरान्त प्रोत्साहनों को प्रतिबन्धित कर सकेगी।
		(घ)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।
अन्य	1.	इस **आदेश से संबंधित योजनाओं** के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिकृत होगा।	
	2.	इस **आदेश/आदेश से संबंधित योजनाओं** में निहित किसी भी विषय–बिन्दु पर **अस्पष्टता की स्थिति में** व्याख्या करने का अधिकार शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का होगा।	
	3.	अनुदान तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अभिलेखों, लेखा–जोखा, सम्बन्धित सूचनाओं के रख–रखाव एवं आडिट आदि के लिये सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे।	

ये आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या–470/XXVII(2)/2015 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 सहमति से जारी किये जा रहे है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

पृष्ठांकन संख्याः /VII-2/15/146(एम0एस0एम0ई0)/2013 टी0सी0 III तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
5. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
6. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव–मा0 लघु उद्योग मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम।

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना–2015

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 कहलायेगी।

2. **योजना का प्रारम्भ और अवधि** — यह योजना **एम0एस0एम0ई0 नीति जारी होने की तिथि** दिनांक 31 जनवरी, 2015 से लागू होगी तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी।

3. **योजना का लागू होना** — यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146एमएसएमई/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 में उत्तराखण्ड राज्य के श्रेणी–ए, बी, सी व डी में वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए लागू होगी।

3. **पात्रता अवधि** — निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ पात्र चिन्हित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों को, योजना की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख के पश्चात से 1 वर्ष के भीतर पूंजी निवेश दावा प्रस्तुत करने पर अनुमन्य होगा।

4. **नये उद्यम की परिभाषा**

1. **नये उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम 31 जनवरी, 2015 के पश्चात् किये गये हों। उद्यम की स्थापना हेतु प्रभावी कदम (steps) की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, से अभिप्रेत हैं:–**

   (क) विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने का दिनांक।

   (ख) उत्पादक तथा सेवा उद्यम के संचालन के लिए कार्यशाला भवन किराये अथवा लीज पर लिये जाने का दिनांक।

   (ग) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक।

   (घ) प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि।

(ङ) उद्यम के लिये अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को निश्चित आदेश दिये जाने का दिनांक।

(च) उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय संस्था से प्रस्तावित कुल स्थिर पूंजी निवेश के सापेक्ष 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक धनराशि प्रदत्त की जा चुकी हो।

(छ) उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन, भाग–2 फाइल करने का दिनांक।

स्पष्टीकरण:

वित्तीय संस्था से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार की अनुमोदित वित्तीय संस्था, आई.एफ.सी.आई., आई. सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., सिडबी, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त पोषक संस्था/बैंक से है।

5. स्वीकार्य पूंजी निवेश सहायता की सीमा/मात्रा

1. **श्रेणी–ए** के जनपदों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूॅजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम □40.00 लाख (□चालीस लाख मात्र) तक।

2. **श्रेणी–बी** के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूॅजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम □35.00 लाख (□पैंतीस लाख मात्र) तक।

3. **श्रेणी–सी** के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूॅजी निवेश का 30 प्रतिशत, अधिकतम □30.00 लाख (□तीस लाख मात्र) तक।

4. **श्रेणी–डी** के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूॅजी निवेश का 15 प्रतिशत, अधिकतम □15.00 लाख (□पन्द्रह लाख मात्र) तक।

6. **कार्यशाला भवन, संयंत्र तथा मशीनरी**

1. **भवनः** **(अ)** उद्यम के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत रूप से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये उद्यम के कार्यशाला भवन में किये गये पूँजी निवेश पर सहायता अनुमन्य होगी। किराये के भवन हेतु कम से **कम 05 वर्ष** की वैध पंजीकृत किरायेदारी हो। कार्यालय/आवसीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु निर्मित भवन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा, केवल विनिर्माणक/उत्पादन तथा सेवा कार्यों के उपयोग के लिये वांछित आवश्यक कार्यशाला भवन/शेड को ही उपादान हेतु गणना में लिया जाएगा।

(ब) स्वयं के स्वामित्व/क्रय किये गये/लीज पर लिये गये भवन में उद्यम संचालन हेतु आवश्यक अतिरिक्त निर्माण/परिवर्धन /रिनोवेशन पर किये गये व्यय को भी स्थिर पूंजी निवेश में शामिल किया जायेगा। उक्त निवेश की गणना निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगीः–

(i) अतिरिक्त निर्माण/परिवर्द्धन/रिनोवेशन कार्य कराने से पूर्व इसकी अनुमति सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से ली गई हो।

(ii) उक्त का व्यय आंगणन चाटर्ड इंजीनियर/राजकीय विभाग के सक्षम अभियन्ता से प्राप्त की गई हो।

(iii) उपादान दावे के समय, रिनोवेशन से पूर्व तथा बाद के फोटोग्राफ **तिथि सहित** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. **मशीनरी संयत्र एवं उपकरणः– (अ)** मशीनरी संयत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में उपलब्ध/प्राप्त हो गये हों तथा जिन्हें स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से अधिष्ठापित कर दिया गया हो, को उपादान हेतु अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत लिया जायेगा। अन्य उपकरणों, जिसमें टूल, जिग्स, डाईयॉ तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम, उनकी परिवहन लागत तथा अधिष्ठापन व्यय को भी इसमें शामिल किया जायेगा। **(ब)** विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उत्पादों के विपणन, कच्चा माल तथा तैयार माल के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जा रहे अधिकतम एक परिवहन भार वाहन पर किया गया स्थिर पूंजी निवेश भी निवेश प्रोत्साहन

सहायता के लिए अर्ह माना जायेगा। निवेश प्रोत्साहन सहायता के लिए पूंजी निवेश आंगणन हेतु परिवहन भार वाहन पर किया गया कुल निवेश, कुल अचल पूंजी निवेश (भूमि पर व्यय को छोड़कर) के अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक ही सम्मिलित किया जायेगा।

7. योजना का क्रियान्वयन व सहायता संवितरण हेतु एजेन्सी

योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

8. उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

1. नये उद्यम स्थापित करने का आशय रखने वाले उद्यमियों को सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन भाग–1 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाने से पूर्व प्रस्तावित उद्यम के भवन तथा मशीनरी में निवेश किये जाने वाले स्थिर पूंजी निवेश का निर्धारण **दर्शाते हुए** सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पूंजी निवेश सहायता योजनान्तर्गत अपने उद्यम को पंजीकृत कराना होगा।

2. योजनान्तर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत उद्यम के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश तथा दावों के निपटान की विस्तृत प्रक्रिया अनुलग्नक–1 में दी गई है। निर्धारित आवेदन–पत्र पर निम्नलिखित संलग्नकों सहित अनुलग्नक–1 के अनुसार सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगाः–

   (i) उद्यमी ज्ञापन भाग–1 (जैसी भी स्थिति हो) की प्रति।

   (ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रोजैक्ट रिपोर्ट।

   (iii) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से यदि परियोजना अनुमोदित हो, तो उसकी प्रमाणित प्रति।

   (iv) जिला उद्योग केन्द्र में पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रति।

   (v) उद्यमी ज्ञापन भाग–2/उत्पादन प्रमाण पत्र।

(vi) प्रदूषण अनापत्ति/सहमति पत्र।

(vii) भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/पंजीकृत सेल डीड/लीज डीड/किरायेनामे की प्रति।

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति तथा अनुमोदित मानचित्र।

(ix) आर्कीटेक्ट/मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर द्वारा सत्यापित भवन निर्माण सम्बन्धी ऑगणन तथा लागत प्रमाण पत्र (यदि निर्माण लागत □ 1 लाख से अधिक हो)

(x) प्लाण्ट एवं मशीनरी का मद/तिथिवार विवरण, निवेशित व्यय, बिल वाउचर तथा भुगतान रसीदों की प्रतियॉ।

(xi) □ 1 लाख से अधिक का उपादान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।

(xii) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र।

3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दावे का स्थलीय निरीक्षण करते हुये अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर सम्पूर्ण प्रकरण स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के साथ जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति/राज्य स्तरीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया जायेगा।

9. उपादान सहायता की स्वीकृति/ संवितरण हेतु प्रक्रिया

1. प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उपादान सहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम **क्रियान्वयन आदेश**–2015 में अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य/जिला स्तर पर गठित राज्य/जिला स्तरीय **समिति उत्तरदायी होंगी।**

2. नये स्थापित उद्यम को स्वीकृत उपादान सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेन्सी द्वारा उद्यम के व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति पर वितरित की जायेगी।

3. पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता बजट उपलब्धता के आधार पर संवितरित की जायेगी। उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु शपथ–पत्र, करार (Indemnity Bond) आलेख का अनुमोदित प्रारूप अनुलग्नक–1 में सामान्य प्रचालनात्मक निर्देशों के साथ दिया गया है।

10. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व

1. यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 05 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस **प्राप्त** करने पर विचार कर सकता है।

2. निदेशक उद्योग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. जिन उद्यमों ने □ 01 लाख से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 05 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। □ 1.00 लाख (□एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी। **उक्त विवरण प्राप्त करने का दायित्व संबंधित जनपद के महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा**।

4. उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 05 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना **होगा। प्राकृतिक** आपदाओं के कारण उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निदेशक, उद्योग का निर्णय

अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

नोटः– उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित उद्यमों से सूचनायें एकत्र करने तथा संकलित विवरण निदेशक, उद्योग को प्रेषित करने का दायित्व संबंधित जनपद के महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

11. अन्य

1. प्रस्तर–10 (1 से 4) का अनुपालन न होने पर उपादान सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सादृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।

2. योजना के किसी बिन्दु पर विवाद होने पर शासन का निर्णय अन्तिम व **बाध्यकारी** होगा।

3. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश तथा किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिये प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

अनुलग्नक–1

निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 के तहत औद्योगिक इकाईयों के पंजीकरण के लिए सामान्य प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश तथा राज सहायता दावों के निपटान की प्रक्रियाः

(i) इस योजना के तहत राज सहायता के लिए दावा करने की इच्छुक औद्यागिक नई इकाई की स्थापना से पहले सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में ई.एम. पार्ट–1 दाखिल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त योजना के तहत पंजीकरण (फार्म संख्याः 1) हेतु आवेदन करना चाहिए।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाय कि इस योजनान्तर्गत चिन्हित उद्यमों की श्रेणी में उल्लिखित उद्यमों का ही उपादान/प्रोत्साहन सहायता हेतु पंजीकरण किया जाय।

(iii) योजना अन्तर्गत राज सहायता के लिए इकाई द्वारा अपना दावा, वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर (जांच सूची फार्म संख्याः 4 अपेक्षित दस्तावेज सहित सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना है। दावा आवेदन के साथ 'विचलन विवरण' भी प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था की बैंक एप्रेजल/मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी अथवा स्व–वित्त पोषित इकाईयों के मामलों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा योजनान्तर्गत पंजीकरण के समय दी गई एप्रेजल/मूल्यांकन रिपोर्ट दी जानी होगी।

(v) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम **उद्यम कियान्वयन आदेश–2015** में दिये गये आधार पर ही वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन की तिथि निर्धारित की जाय।

(vi) जिला उद्योग केन्द्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज सहायता के लिए दावा आवेदन फार्म सभी प्रकार से पूरे हों तथा इनके साथ फार्म 1सी (i) के रूप में संलग्न जांच सूची के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज लगे हुए हों। अपेक्षित दस्तावेज के बिना अधूरे आवेदन पत्रों पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) यदि दावा न्यायाधीन है, तो इस योजना के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(viii) संयंत्र तथा मशीनरी/परियोजना की लागत के सम्बन्ध में सभी लेन–देन, जैसा भी मामला हो, ''आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक'' अथवा ''डिमांड ड्राफ्ट'' के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। एक दिन में प्लांट व मशीनरी/भवन निर्माण पर हुए व्यय के बिलों का एक दिन में □ 20,000 से अधिक के नकद भुगतान को उपादान हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा। उपादान हेतु गणना में लिये गये कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत नकद भुगतान ही उपादान हेतु अर्ह (eligible) होगा।

(ix) समस्त व्यय को पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(x) इस योजना के अन्तर्गत राज सहायता की पात्रता तथा मात्रा का निर्धारण करने के लिए भूमि की लागत को गणना में नहीं लिया जायेगा।

(xi) पुराने पूंजीगत माल पर योजनाओं के तहत राज सहायता नहीं दी जाएगी। आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसे माल के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं किया गया है।

(xii) इसके साथ संलग्न सम्बन्धित जांच सूची के अनुसार अपेक्षित सभी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर इकाई के अधिकृत हस्ताक्षरी तथा विभागीय अधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर तथा मोहर लगी होनी चाहिए।

(xiii) जिला उद्योग केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी को प्रत्येक इकाई के स्थान का दौरा करना **होगा** तथा औद्योगिक इकाई के मौजूद होने एवं इसके प्रचालन तथा नई इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में वास्तविक रूप से पुष्टि करनी **होगी** और इस सम्बन्ध में निर्धारित फार्म पर रिपोर्ट तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत विचलन रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्रस्तुत करनी **होगी**।

(xiv) जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय को **सुनिश्चित** करना **होगा** कि **अनुमन्य दावों** के प्राप्त होने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर सभी दावों को क्रमशः जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में विलम्ब होने पर जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इसके कारण लिखित में दिये जाने **होंगे।**

(xv) बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में, बैंक परियोजना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य को प्रमाणित करेंगे। स्व–वित्त पोषित इकाईयों के मामले में, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के मामलों में राज्य सरकार किसी अन्य एजेंसी/समिति को परियोजना के मूल्यांकन के लिए नामित कर सकती है।

(xvi) इन योजनाओं के तहत दावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय **समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार तथा** जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य किया जायेगा।

(xvii) महिला उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही इकाईयों के दावों के सम्बन्ध में प्राथमिकता सूची रखी जानी **होगी।** ऐसी इकाई के दावे पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए तथा उद्योग निदेशालय को मासिक आधार पर उनकी प्रगति की निगरानी करनी **होगी**।

(xviii) राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति की बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पहले इसकी बैठक की सूचना विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी के साथ, सभी सम्बन्धित प्रतिभागियों को भेज दी जानी चाहिए। बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के मामले में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना आवश्यक है।

(xix) इस योजना **के अन्तर्गत किसी** दावे की सिफारिश/अनुमोदन करते समय राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित पर विचार करेगीः–

- जिला उद्योग केन्द्र की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट।
- औद्योगिक इकाई के मौजूद होने के सबूत से सम्बन्धित दस्तावेज।
- इकाई के उत्पादन आंकड़े।
- औद्योगिक इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/ तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर)।
- क्या इन संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति/अर्जन हेतु भुगतान आदाता खाता (एकाउंट पेयी) चैक/ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए किया गया है।
- उस बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट जिसने औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता दी है।
- इकाई के दावा आवेदन सहित उनके द्वारा प्रस्तुत 'विचलन रिपोर्ट'।

- संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटकों के सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये स्पष्टीकरण/दिशा–निर्देश।
- उपर्युक्त के अलावा, **समिति** ऐसे अन्य दस्तावेजों/रिपोर्टों की भी अपेक्षा कर सकती है, जो उनके विचार से औद्योगिक इकाईयों द्वारा किए गए दावों की वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हों।

(xx) किसी विशेष दावे के सम्बन्ध में सिफारिश/अनुमोदन/अस्वीकृति हेतु विस्तृत विचार–विमर्श तथा औचित्य सम्बन्धित राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति **की** बैठक के कार्यवृत्त में विधिवत् रिकार्ड **किया जाए**गा। औद्योगिक इकाई की परियोजना में सहायता करने वाली बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) की मूल्यांकन रिपोर्ट में विचार की गई संयंत्र एवं मशीनरी की मदों की सूची तथा तकनीकी दल की मूल्यांकन रिपोर्ट में किसी विचलन का **समिति** द्वारा समुचित स्पष्टीकरण/औचित्य दिया जाएगा।

(xxi) राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत सिफारिश में यह प्रमाणित करना चाहिए कि दावा योजना के दिशा–निर्देशों के **अनुरूप** है, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी के पात्र संघटक शामिल हैं।

(xxii) इकाई **का यह दायित्व होगा कि** वह वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करने के बाद निर्धारित प्रपत्र में पांच वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) **जिला उद्योग केन्द्र तथा** उद्योग निदेशालय को भेजे।

(xxiii) किसी औद्योगिक इकाई को देय राज सहायता की मात्रा की गणना योजनाओं में यथा निर्धारित पात्र संघटकों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी शंका होने पर मामला स्पष्टीकरण हेतु **शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को भे**जा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(xxiv) पात्र इकाईयों को स्वीकृत **राज सहायता का संवितरण** बजट उपलब्धता के आधार पर संवितरण अधिकारी द्वारा पात्र इकाई के विनिर्दिष्ट खाते में इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के जरिए आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जायेगा।

(xxv) जिला उद्योग केन्द्र स्थापित इकाईयों, **उनके द्वारा किए गए निवेश और सृजित रोजगार के सम्बन्ध में निदेशालय को तिमाही** रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(xxvi) राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तथा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए छमाही समीक्षा भी **कर सकेगी।**

(xxvii) इसके अलावा **शासन के** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सम्बन्धित कार्यालय **ज्ञापों**/अधि**सूचनाओं/आदेशों** में उल्लिखित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना–2015

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता **योजना**–2015' कहलायेगी।

2. **योजना का प्रारम्भ और अवधि** — यह योजना **एम0एस0एम0ई0 नीति जारी होने की तिथि** दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्रभावी होकर दिनांक 31 मार्च, 2020 तक प्रवर्त रहेगी। पात्र उद्यमो को उक्त अवधि में ऋण लेने की तिथि से लेकर ऋण की अनुमन्यता अवधि तक अथवा अधिकतम 10 वर्ष तक अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, ब्याज प्रोत्साहन सहायता का लाभ अनुमन्य होगा।

3. **परिभाषा**

   1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम की परिभाषायें वही होंगी, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 में परिभाषित की गई हैं।

   2. सावधि ऋण से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था **से भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी के क्रय हेतु लिया गया हो। इकाई की स्थापना के पश्चात् योजनावधि में इकाई के विस्तार हेतु लिए गये सावधि ऋण (Term Loan) पर देय ब्याज पर ब्याज प्रोत्साहन सहायता की सुविधा अनुमन्य होगी।**

   3. कार्यशील पूंजी से तात्पर्य ऐसे वैध ऋण/साख सुविधा से है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्था से कार्यशील पूंजी के रूप में स्वीकृत व वितरित किया गया हो। बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत परियोजना में वित्तीय स्रोतों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यशील पूंजी ऋण के अतिरिक्त बाद में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर ब्याज प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

   4. वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से आशय, ऐसे वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से है, जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए अपनी अनुसूची में सम्मिलित किया गया हो।

4. पात्रता

1. श्रेणी– 'ए', 'बी' व 'सी' के जनपदों/क्षेत्रों में नये विनिर्माणक **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम** उद्यम तथा **श्रेणी–ए, बी में सेवा** क्षेत्र के **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम** उद्यम **को उनके द्वारा प्राप्त किये** गये सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण दोनों पर ही अनुमोदित बैंक/वित्त पोषक संस्था द्वारा स्वीकृत/ वितरित ऋण पर देय ब्याज के विरूद्ध ब्याज प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी।

2. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

3. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र से इस योजना के अन्तर्गत उपादान पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

4. उद्यम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित/अधिकृत वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था अथवा सहकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हों।

स्पष्टीकरण:

i ऐसे उद्यम, जो भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा शासकीय संस्थाओं की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित हैं तथा जिन्हें पूर्व से ही ब्याज की रियायती दर लगती हो, इस सहायता की पात्र नहीं होंगे।

ii भारत सरकार/राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम/ संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमों को प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

iii उद्यमी द्वारा उद्यम प्रारम्भ करने के उपरान्त सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण में अतिरिक्त वृद्धि पर ब्याज प्रोत्साहन सहायता देय नही होगी।

iv ऐसे उद्यम, जिन्हें दिनांक 31 जनवरी, 2015 से पूर्व वित्त पोषक बैंक/संस्था द्वारा स्वीकृत सावधि/कार्यशील पूंजी की प्रथम किश्त संवितरित की गई हो, इस सुविधा की पात्र नहीं होंगे।

5. उपादान सहायता की सीमा एवं मात्रा

1. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम □ 8.00 लाख (□ आठ लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।

2. ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–बी के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 8 प्रतिशत अधिकतम □ 6.00 लाख (□ छः लाख मात्र) प्रति इकाई प्रति वर्ष होगी।

3. श्रेणी–सी के जनपदों/क्षेत्रों में 6 प्रतिशत, अधिकतम □ 4 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई होगी।

4. श्रेणी–डी के जनपदों/क्षेत्रों में ब्याज उपादान देय नहीं होगा।

5. ब्याज उपादान की अवधि की गणना परियोजना हेतु स्वीकृत सावधि ऋण स्वीकृति की प्रथम किश्त संवितरण के दिनांक से अनुमन्य अवधि तक की जायेगी।

6. ब्याज उपादान सहायता केवल सामान्य ब्याज दर के सापेक्ष देय होगी। विलम्ब शुल्क, शास्ति या अन्य पर कोई ब्याज उपादान देय नहीं होगा।

6. ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

1. पात्र उद्यमों द्वारा इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नलिखित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा।

   (i) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–1 की अभिस्वीकृति की प्रति।

   (iii) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति की प्रति।

   (iv) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यावसायिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

   (v) वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उद्यम हेतु स्वीकृत सावधि ऋण (term loan) का स्वीकृति पत्र तथा प्रथम किश्त संवितरण प्रमाण पत्र।

(vii) निर्धारित प्रारूप में विवरण, जिसमें नये उद्यम द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की किश्त, उद्यम पर अधिरोपित ब्याज, उद्यम द्वारा भुगतान किये गये मूलधन व ब्याज, ब्याज की दर, ब्याज उपादान की दर तथा उपादान राशि से सम्बन्धित गणना विवरण पत्र, जो सम्बन्धित बैंक/ वित्तीय संस्था के शाखा प्रबन्धक या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

(viii) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित त्रैमास में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा ऋणी इकाई किसी भी रूप में डिफाल्टर नहीं है।

(ix) ब्याज उपादान सम्बन्धी दावा वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से त्रैमासिक आधार पर सम्बन्धित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने तथा उद्यमी ज्ञापन भाग–2 की अभिस्वीकृति जारी होने के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

(x) महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र दावे का **परीक्षण कर ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना के प्राविधानों** के अनुसार परीक्षणोपरान्त दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे तथा प्राधिकृत समिति से स्वीकृति मिलने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

(xi) जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति की बैठक का कार्यवृत्त स्वीकृत धनराशि की मॉग हेतु निदेशक, उद्योग **(एम0एस0एम0ई0)** को **भेजा जायेगा।** निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये जिला उद्योग केन्द्र को धनराशि का आवंटन करेंगे। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक को उपादान की राशि ऋणी विशेष के खाते में जमा करने हेतु प्रेषित की जायेगी, जो उसी ऋणी के खाते में सम्बन्धित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। ब्याज उपादान की राशि नकद में नहीं दी जायेगी।

(xii) ब्याज उपादान का प्रथम दावा नये उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ होने के दिनांक से 6 मॉह के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आगामी किसी भी त्रैमास का दावा अगले एक त्रैमास के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दिया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को प्राधिकृत समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. ब्याज उपादान की वसूली

1. ब्याज उपादान की राशि इकाई के खाते में जमा हो जाने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि **इकाई** द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं इस प्रकार गलत तरीके से उपादान प्राप्त किया गया है, तो ब्याज उपादान की राशि **की एकमुश्त** वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ की जायेगी। यह **वसूली सम्बन्धित इकाई से भू–राजस्व** वसूली के सादृश्य की जा सकेगी।

2. ब्याज उपादान की राशि केवल उन्हीं उद्यमों को प्राप्त होगी, जो उपादान मिलने की तिथि के बाद कम से कम 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी, अन्यथा शासन को अधिकार होगा कि दी गई सहायता की समस्त धनराशि इकाई से वसूल कर लें।

8. अन्य

1. योजना के अन्तर्गत नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की स्थिति में **उत्तराखण्ड शासन** का निर्णय अन्तिम एवं इकाई के लि**ये बाध्यकारी होगा।**

2. योजना के **प्राविधानों अन्तर्गत** कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक, उद्योग सक्षम होंगे।

3. ब्याज उपादान से सम्बन्धित सभी अभिलेखों, प्रपत्रों इत्यादि के रख–रखाव एवं आडिट आदि का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति योजना–2015

1. **संक्षिप्त नाम** — यह योजना **'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति योजना–2015'** कहलाएगी।

2. **उद्देश्य** — योजना का उद्देश्य नीति में वर्गीकृत श्रेणी–'ए' व 'बी' में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक (Manufacturing) उद्यमों को बाजार की प्रतिस्पर्धा बनाये रखते हुए इकाई के उत्पाद में होने वाली लागत वृद्धि को कम करना, जिससे वर्गीकृत क्षेत्र में स्थापित होने वाली उक्त इकाईयों को उत्पाद की बिक्री में सहायता मिल सके तथा सतत् रूप से वे क्रियाशील रह सकें।

3. **योजना की अवधि** — यह योजना **एम0एस0एम0ई0 नीति जारी होने की तिथि दिनांक** 31 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2020 तक अथवा जब तक शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्यथा आदेश पारित न कर दिया जाय, लागू रहेगी। योजनान्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले घटित हो, मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति का लाभ अनुमन्य होगा।

4. **परिभाषायें**

(क) मूल्य वर्धित कर (VAT):–

मूल्य वर्धित कर से तात्पर्य, ''विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना विविध संख्या–615/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, दिनांक 11 नवम्बर–2005, से प्राख्यापित ''उत्तराखण्ड राज्य मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005'' (अधिनियम संख्या–27, वर्ष 2005) में परिभाषित मूल्य वर्धित कर से अभिप्रेत है।

(ख) नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) उद्यमः–

नए अभिज्ञात विनिर्माणक/उत्पादक (Manufacturing) से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिन्हें उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के

मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में, जैसेः–

(i) एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

(ii) एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

(iii) एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ग) **सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमः–**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है, जिसे 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006' के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

5. स्वीकार्य मूल्य वर्धित कर (VAT)

पात्र औद्योगिक एककों/उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पाद की बिक्री पर भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति, निम्नानुसार दावे की अर्हता के निर्धारण होने पर, अनुमन्यता के अनुसार की जायेगी। मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा **श्रेणी–ए** के जनपदों/क्षेत्रों के लिए 5 वर्ष तक कुल कर देयता का शत्–प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत और **श्रेणी–बी** के जनपदों/क्षेत्रों में 5 वर्ष तक कुल कर देयता का शत्–प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत की दर से देय होगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के लागू होने के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य में कर की वसूली के लिए जी.एस.टी. (GST) या अन्य किसी भी तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी कर को नीति/कियान्वयन आदेश के प्राविधानों के अनुरूप उद्यम के आर्थिक लाभ को बनाये रख**ने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप यथास्थिति समा**योजित किया जा सकेगा।

6. पात्रता

मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति हेतु पात्रता निम्नलिखित प्रकार से होगीः–

(क) इकाई **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कियान्वयन आदेश–2015** में चिन्हित विनिर्माण उद्यम की श्रेणी में आती हो।

(ख) इकाई श्रेणी– 'ए' अथवा श्रेणी 'बी' के जनपद/क्षेत्र में स्थापित हो।

(ग) इकाई द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु उद्यमिता ज्ञापन भाग– 1 व भाग–2 (EM Part- I & II) प्राप्त किया गया हो।

(घ) इकाई द्वारा वाणिज्य कर विभाग से चिन्हित उत्पाद विनिर्माण हेतु पंजीकरण प्राप्त किया गया हो।

(ङ) इकाई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्य मानकों को पूर्ण करती हो।

7. मूल्य वर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति/संवितरण की प्रक्रिया

मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु **राज्य का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सं**बंधित निदेशालय नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।

प्रति इकाई □ 5 लाख या कम प्रतिपूर्ति के दावे की स्वीकृति जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी तथा इससे अधिक की स्वीकृति राज्य प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी।

8. मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

पात्र विनिर्माणक इकाईयों द्वारा त्रैमासिक रूप से रिटर्न दाखिल (Return File) करने तथा स्वनिर्मित उत्पाद के विक्रय पर निर्धारित मूल्य वर्धित कर (VAT) का भुगतान करने के पश्चात्, प्रतिपूर्ति दावा इस हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित अभिलेखों सहित सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगाः–

(क) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त उद्यमिता ज्ञापन भाग– 1 व भाग–2 (EM Part- I & II) की सत्यापित प्रति।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण–पत्र।

(ग) इकाई द्वारा निर्धारित मूल्य वर्धित कर (VAT) भुगतान की, **वाणिज्य** कर विभाग द्वारा प्रमाणित प्रति।

(घ) इकाई के त्रैमासिक रिटर्न (Return) की वाणिज्य कर विभाग द्वारा सत्यापित प्रति।

(ङ) इकाई के वार्षिक कर प्रतिफल (Annual Tax Return) की सत्यापित प्रति, प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर।

(च) वाणिज्य कर विभाग द्वारा इकाई के पक्ष में जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति (प्रथम दावे के साथ)।

(छ) अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र।

नोटः मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति दावा, **त्रैमास की समाप्ति पर 06 माह के अंदर** सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि के उपरान्त प्रस्तुत दावों पर विचार नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में, कालातीत दावों के सन्दर्भ में गुण–दोष के आधार पर, राज्य/जिला प्राधिकृत समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

9. प्रतिपूर्ति की वसूली निम्नलिखित परिस्थितियों में इकाई को भुगतान किये गये मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व वसूली के सादृश्य की जा सकेगीः–

(क) यदि इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया हो अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो।

(ख) इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू न रखा हो। विशेष अथवा आपदा सम्बन्धी कारणों पर निर्णय के लिए निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) प्रतिपूर्ति दावों के सम्बन्ध में कोई जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध न कराया हो अथवा राज्य की **एम.एस.एम.ई. नीति/कियान्वयन आदेश–2015/संगत नियमों** द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा–निर्देशों का पालन न किया गया हो।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम विद्युत बिल प्रतिपूर्ति योजना–2015

1. संक्षिप्त नाम

यह योजना **'सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम विद्युत बिल प्रतिपूर्ति योजना–2015'** कहलायेगी।

2. योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि

यह यो**जना एम0एस0एम0ई0 नीति जारी होने की तिथि दिनांक** 31 जनवरी, 2015 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2020 तक प्रवर्त रहेगी। योजनावधि में स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।

3. योजना का क्षेत्र

यह योजना उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/सात–2–15/146एमएसएमई/2013, दिनांक 31 जनवरी, 2015 के द्वारा घोषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्गीकृत श्रेणी–'ए' व श्रेणी–'बी' के जनपदों/क्षेत्रों में लागू होगी। श्रेणी–'सी' एवं श्रेणी–'डी' क्षेत्रों मे यह सुविधा अनुमन्य नही है।

4. परिभाषा

1. नये अभिज्ञात अर्ह विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से अभिप्रेत है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो तथा जिसकी स्थापना के लिए सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व 2 (EM Part-I & II) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

2. विनिर्माणक/उत्पादक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का आशय ऐसे उद्यम से अभिप्रेत है, जो उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में लगे हुए हों:–

   (क) एक **सूक्ष्म उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

   (ख) एक **लघु उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो,

या

(ग) एक **मध्यम उद्यम**, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

3. सेवा प्रदाता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनिमय–2006 में परिभाषित किया गया हो तथा जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनायें जारी की गई हों:–

(क) एक ऐसे **सूक्ष्म उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो,

(ख) एक ऐसे **लघु उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड़ रूपये से अधिक न हो, या

(ग) एक ऐसे **मध्यम उद्यम** के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो।

4. विद्युत दर से तात्पर्य प्रति इकाई विद्युत उपभोग मूल्य से है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित विद्युत उपभोग कर/उपकर/**उच्च भार कर**/विलम्ब शुल्क/शीतकालीन व ईधन समायोजन कर आदि सम्मिलित नहीं होंगे, परन्तु विद्युत बिल में आरोपित फिक्सड चार्ज (Fixed Charge) को उपादान हेतु गणना में सम्मिलित होगा।

5. विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता हेतु पात्र गतिविधियां एवं प्रतिपूर्ति सहायता मात्रा/सीमा

1. विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के अधिक विद्युत खपत करने वाले निम्न उद्यमों को छोड़कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली–2015 में चिन्हित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जिनकी कुल विद्युत आवश्यकता पात्रता की सीमा के अन्तर्गत हो, विद्युत प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे:–

(i)	Synthetic Fibre, Man Made Fibre, Rayon	(ii)	Tyres and Tubes of Rubber Manufacturing
(iii)	Synthetic Rubber	(iv)	Chemicals
(v)	Paper, Straw Board, Pulp, Card Board	(vi)	Glass Manufacturing

(vii)	Acetylene and Oxygen	(viii)	Solvent Extraction Plant
(ix)	Galvanising, heat treatment, induction heating running on continuous basis	(x)	Alumunium refining and manufacturing
(xi)	Camphor	(xii)	Cement
(xiii)	Sulpuric Acid with contact process	(xiv)	Caustic Soda
(xv)	Oxygen for medical purpose	(xvi)	Distilleries and Brewaries
(xvii)	Vanaspati invlolving Hydrogenation process(not applicable to refined oils)	(xviii)	Drug Manufacturing Industries having fermentation processess.
(xix)	Chemical Fertilizers	(xx)	Rubber emulsifier
(xxi)	Sugar & its byproducts	(xxii)	Computer hardware
(xxiii)	Pharma products	(xxiv)	Eco tourism units such as hotels, motels, reorts, guest house, spa, entertainment/ amusement park & rope ways.
(xxv)	Industrial gases (based on atmospheric fraction).	(xxvi)	Steel roling mills.
(xxvii)	Electric furnace.		

2. विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी– 'ए' एवं श्रेणी– 'बी' के जनपदों/क्षेत्रों में पात्र गतिविधियों हेतु, निम्नानुसार अनुमन्य होगीः–

संयोजित विद्युत भार	**प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा**	
	श्रेणी– 'ए'	**श्रेणी– 'बी'**
100 केवीए	प्रथम 05 वर्ष के लिए **शत प्रतिशत** तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत	प्रथम 05 वर्ष के लिए **शत प्रतिशत** तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत
100 केवीए	60 प्रतिशत	50 प्रतिशत

से ऊपर		

3. सभी अनुमन्य विनिर्माणक उद्यमों में **उत्पादन प्रक्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र सम्बन्धी उद्यमों में सेवा इकाई में खपत होने** वाले विद्युत के बिलों के भुगतान पर ही प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। **कार्यालय में खपत होने वाले विद्युत तथा** विनिर्माणक एवं सेवा उद्यमों के आवासीय अथवा अन्य गैर उत्पादक क्रियाकलापों यथाः विज्ञापन, प्रदर्शन आदि पर उपयोग की गई विद्युत के मूल्य में प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

4. कुल संयोजित विद्युतभार में **से उत्पादन प्रक्षेत्र/सेवा कार्य हेतु पृथक से तथा कार्यालय व आवासीय एवं अन्य गैर अनुत्पादक क्रियाकलापों पर उपभोग विद्युत का आंकलन** ऊर्जा निगम के द्वारा विद्युत संयोजन देते समय सुनिश्चित कर तद्विषयक प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा जिसके आधार पर ही प्रतिपूर्ति दावे स्वीकृत किये जायेंगे।

5. पात्र उद्यम को विद्युत बिल उपादान हेतु उसके द्वारा व्यावसायिक उत्पादन/सेवा पर किये गये विद्युत उपभोग मूल्य को गणना में लिया जायेगा, जिसमें फिक्सड चार्ज सम्मिलित होगा, परन्तु विद्युत उपभोग कर/उपकर/उच्च भार छूट कर/विलम्ब शुल्क/शीतकालीन व ईंधन समायोजन कर आदि सम्मिलित नही होंगे।

6. **विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेन्सी**

विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता के संवितरण हेतु राज्य का उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा **तथा शासन से इस रूप में प्राप्त बजट का आवंटन/संवितरण प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों की अर्हता पर निर्णय लेने के लिये गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सम्बन्धित इकाई को किया जायेगा।**

प्रति इकाई □ 5 लाख या कम प्रतिपूर्ति के दावे की स्वीकृति जिला प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी तथा इससे अधिक की स्वीकृति राज्य प्राधिकृत समिति के द्वारा की जायेगी।

7. **विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की स्वीकृति/संवितरण हेतु प्रक्रिया**

पात्र उद्यमों को निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित सहपत्रों/अभिलेखों के साथ सम्बन्धित जिले के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगाः–

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अन्तर्गत

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के पश्चात् सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किये गये उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 एवं भाग–2 की अभिस्वीकृति की सत्यापित प्रति।

2. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी व्यवसायिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

3. विद्युतभार स्वीकृति पत्र तथा विद्युत मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।

4. वैध विद्युत बिल तथा इसके भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रति।

5. ऊर्जा निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा इकाई के पक्ष में जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि स्वीकृत लोड का कितना प्रतिशत भाग उत्पादन/सेवा कार्य तथा कार्यालय हेतु व्यय किया जा रहा है। (प्रथम दावे के साथ तथा किसी भी परिवर्तन के समय)।

6. निश्चित समय पर विद्युत बिल का भुगतान करने के पश्चात् तीन माह के अन्दर जिला उद्योग केन्द्र में दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अपरिहार्य कारणों से हुये विलम्ब को गुणदोष के आधार पर माफ किया जा सकेगा।

7. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र दावा प्राप्त होने पर दावे का परीक्षण कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्य**म कियान्वयन आदेश**–2015 के अन्तर्गत अनुदान एवं सहायता की स्वीकृति हेतु गठित जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति में दावा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। समिति से स्वीकृति मिलने पर सम्बन्धित इकाई को दावे की स्वीकृति की संसूचना दी जायेगी। उद्योग निदेशालय बजट आवंटन होने पर सम्बन्धित जनपद को बजट की उपलब्धता के आधार पर मांगी गई धनराशि का आवंटन करेगा। धनराशि प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित इकाई को स्वीकृत धनराशि संवितरित की जायेगी।

8. प्रतिपूर्ति सहायता की वसूली

1. यदि उद्यम द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर सहायता प्राप्त की गई हो।

2. प्रतिपूर्ति सहायता की अर्हता के लिए विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम का नियमित उत्पादनरत्/कार्यरत् रहना अपेक्षित है। उद्यमी द्वारा

व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय के लिये निदेशक उद्योग सक्षम प्राधिकारी होंगे।

3. प्रतिपूर्ति सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी मॉगे जाने पर सूचना उपलब्ध न कराने अथवा **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कियान्वयन आदेश–2015** में उल्लिखित शर्तों के पालन न होने पर छूट सहायता की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज के साथ एक मुश्त राजस्व वसूली के सादृश्य की जा सकेगी।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य परिवहन उपादान योजना–2015

1.	**संक्षिप्त नाम**	यह योजना **'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य परिवहन उपादान योजना–2015'** कहलायेगी।	
2.	**उद्देश्य**	इस योजना का उद्देश्य चिन्हित जनपदों/क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादित कच्चेमाल के आन्तरिक परिवहन में होने वाली लागत बृद्धि की क्षतिपूर्ति कर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है।	
3.	**योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि**	यह योजना **एम0एस0एम0ई0 नीति जारी होने की तिथि दिनांक** 31 जनवरी, 2015 से लागू होकर 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् योजनावधि में स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।	
4.	**विनिर्माणक उद्यम की परिभाषा**	1.	**नये विनिर्माणक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम** से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति नियमावली–2015 में विनिर्माणक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है।
		2.	**कच्चेमाल** का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे किसी उद्यम ने अपने उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया हो अथवा उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया गया हो। इसमें इकाई द्वारा उत्पादन में उपयोग किये गये समस्त इन्पुट्स सम्मिलित होंगे।
		3.	**तैयार माल** का तात्पर्य ऐसे माल से है, जिसे उद्यम ने भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा केन्द्रीय बिक्रीकर/प्रादेशिक वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत या अनुमोदित उत्पादन कार्यक्रमानुसार वास्तव में उत्पादित किया हो, जिसमें सह उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।
5.	**पात्रता**	1.	ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

		2.	ऐसे उद्यम द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अनुदान सहायता के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया हो।
		3.	इस योजना की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्यम को पृथक रूप से सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिये उद्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक वांछित पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे।
		4.	ईधन, कच्चेमाल अथवा तैयार माल की पैकिंग हेतु प्रयुक्त सामग्री तथा विभिन्न प्रकार की ऐसी सामाग्रियॉ, जो प्रयुक्त होने के उपरान्त नष्ट हो जाती हैं (Consumables) के लिये यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यह सुविधा 31 जनवरी, 2015 के बाद स्थापित किये गये समस्त पात्र उद्यमों को अनुमन्य होगी, लेकिन योजना के अन्तर्गत किये गये पंजीकरण की तिथि से अथवा इसके बाद परिवहन किये गये कच्चेमाल तथा तैयार माल पर ही यह अनुदान देय होगा।
7.	**उपादान की मात्रा एवं सीमा**	1.	स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–ए के जनपदों में कुल सालाना बिक्री का 7 प्रतिशत, अधिकतम □ 7.00 लाख प्रति वर्ष/प्रति इकाई अथवा वास्तविक रूप से कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
		2.	स्वनिर्मित उत्पाद की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) पर श्रेणी–बी के जनपदों में कुल सालाना बिक्री का 5 प्रतिशत, अधिकतम □5.00 लाख प्रति वर्ष/प्रति इकाई अथवा वास्तविक रूप से कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
		3.	इकाई की सालाना बिक्री (Annual Turn Over) की पुष्टि वाणिज्य कर विभाग में दाखिल प्रतिफल (Return) तथा सत्यापन रिपोर्ट से की जायेगी।

		4.	कच्चे माल तथा तैयार माल के परिवहन भाड़े पर किये गये वास्तविक व्यय की पुष्टि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर की जायेगी।
8.	**अभिलेखों का रख–रखाव**		इस सुविधा का उपयोग करने वाले उद्यमों को कच्चेमाल तथा **तैयार माल** का विस्तृत विवरण अभिलेखों में अंकित करना होगा तथा जब कभी उद्योग विभाग के किसी अधिकृत प्रतिनिधि/प्राधिकारी द्वारा उनकी मॉग की जाय, तो तत्काल उपलब्ध कराने होंगे। यदि इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य किसी अभिलेख सन्दर्भगत योजना से सम्बन्धित हों, तो उसे भी उद्यम निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध करायेगी, अन्यथा उसे इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
9.	**विशेष परिवहन उपादान दावों का प्रस्तुतिकरण**	1.	उद्यम द्वारा दावों का प्रस्तुतिकरण निर्धारित आवेदन पत्र पर लेखा वर्ष के आधार पर सम्बन्धित **महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबंधक**, जिला उद्योग केन्द्र को किया जायेगा। उद्यम द्वारा प्रथम लेखा वर्ष के परिवहन उपादान दावे उसके अनुवर्ती लेखा वर्ष के द्वितीय माह के अन्त तक सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को अवश्य प्रस्तुत करने होंगे एवं महाप्रबन्धक/**प्रभारी महाप्रबंधक** अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक जॉच/परीक्षण की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अनुवर्ती लेखा वर्ष के चतुर्थ माह में स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर गठित जिला उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति के सम्मुख अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे। यदि किसी उद्यम द्वारा किसी लेखा वर्ष का दावा अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्रस्तुत न किया जा सके, तो उसे वह दावा विलम्बतः अनुवर्ती लेखा वर्ष के तृतीय माह के अन्त तक अवश्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा इसके उपरान्त इस दावे पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
		2.	प्रत्येक दावे के साथ उद्यम द्वारा कच्चामाल क्रय तथा तैयार माल बिक्री के बिल, कैश मैमो एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियॉ, वाणिज्य कर विभाग में प्रस्तुत रिटर्न तथा वाणिज्य कर विभाग की सत्यापन रिपोर्ट साक्ष्य में उपलब्ध करानी होंगी।
10.	**दावे की स्वीकृति की प्रक्रिया**		विशेष राज्य परिवहन उपादान के दावे, □ **5.00 लाख की सीमा तक** जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा **तथा** □ **5.00 लाख से अधिक के दावे**

			राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।
11.	**उपादान संवितरण की प्रक्रिया**	1.	उपादान के संवितरण के लिये निदेशक उद्योग संवितरण एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।
		2.	**जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से दावा (□5 लाख की सीमा तक) स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित प्रारूप पर उपादान स्वीकृति की संसूचना सम्बन्धित उद्यम को जारी करेंगे।**
		3.	प्राधिकृत समिति से दावा स्वीकृत होने पर धनराशि के संवितरण के लिये प्राधिकृत समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि की मॉग निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी।
		4.	**□ 5 लाख से अधिक के प्रकरण प्रयोजन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें निदेशालय की संस्तुति तथा संगत अभिलेख समिति के विचार हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। समिति की संस्तुति/स्वीकृति के उपरांत धनराशि के संवितरण की कार्यवाही निदेशालय द्वारा की जायेगी।**
		5.	निदेशक उद्योग बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि/प्राप्त मॉग के सापेक्ष धनराशि का संवितरण करेंगे।
		6.	उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।
12.	**संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने**	1.	यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 05 वर्ष के

	वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व		अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने हेतु आदेश जारी कर सकता है।
		2.	निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
		3.	जिन उद्यमों ने □1.00 लाख (□एक लाख मात्र) से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 10 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। □ 1.00 लाख (□ एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।
		4.	उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 05 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। **प्राकृतिक आपदा की स्थिति में** उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना, उद्यम/औद्योगिक इकाई को बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर, निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
13.	**अन्य**	**1.**	इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले **एम0एस0एम0ई0** के निदेशक, पदधारक अधिकारी को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा निदेशक, **एम0एस0एम0ई0/उद्यो**ग उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। **विशिष्ट प्रकरण व्याख्या हेतु शासन को संदर्भित किये जायेंगे।**
		2.	परिवहन उपादान हेतु अपात्र वस्तुओं एवं अपात्र उद्यमों की सूची में समय–समय पर संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा।

		3.	परिवहन उपादान से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का रख–रखाव तथा समय–समय पर आडिट इत्यादि का दायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।